न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर0ए0एस0), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या :– 84 / 2017

उनवान

बलबीर बनाम गोविन्द सिंह वगै0

1. बलबीर पुत्र स्व. भूराराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू (राज)।

ओरमता देवी पत्नी स्व. दिनेश उम्र 40 साल जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

2. अंशू पुत्री स्व. दिनेश उम्र 5 साल जरिये माता जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

3. भूमिका पुत्री स्व. दिनेश उम्र 5 साल जरिये माता जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

4. भाविक पुत्र स्व. दिनेश उम्र 8 साल जरिये माता जाति जाट निवासी ग्राम बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

5. सांवरमल पुत्र स्व. गोपाल उम्र 62 साल जाति जाट निवासी ग्राम बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)।

–आवेदकगण

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. विमला पत्नी स्व. ईन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. माहर सिंह पुत्र स्व. ईन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं
5. संतोष देवी पत्नी स्व. लिच्छुराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
6. सुरेश पुत्र स्व. लिच्छुराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7. मोहन पुत्र ख्यमाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8. हरलाल पुत्र ख्यमाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
9. जगदीश पुत्र ख्यमाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
10. राकेश पुत्र ख्यमाराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11. झिमकोरी देवी पत्नी स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
12. मुकेश पुत्र स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।
13. राजेश पुत्र स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुड़ाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी

14. सुनिता पुत्री स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

15. बबीता पुत्री स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

16. संजू पुत्री स्व. किशनराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

17. प्रभाती देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

18. रवि कुमार पुत्र स्व. रामलाल जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

19. अनिता देवी पुत्री स्व. रामलाल जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

20. किरण देवी पुत्री स्व. रामलाल जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

21. ओरमता देवी पत्नी स्व. दिनेश जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

22. सांवरमल पुत्र गोपाल राम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनूं।

23. बुजी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी बुडाना तहसील व जिला झुन्झुनू।

24. तहसीलदार (भू अभिलेख) झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू।

—अनावेदकगण

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राज. अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्तागण :—

1. श्री राजेश पूनिया :— आवेदक की ओर से।
2. श्री तैयब हुसैन खान :— अनावेदक की ओर से।

दिनांक :— 20-6-22

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन हाल ख.नं. 600 रकबा 2.32 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बुडाना तहत झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के खातेदार काश्तकार आवेदक बलबीर व अनावेदिका नं. 23 बुजी देवी है। जमीन हाल ख.नं. 601 रकबा 2.33 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बुडाना तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित है। उक्त जमीन के खातेदार वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित अनुसार अनावेदक नं. 1 लगायत 6 है। जमीन हाल ख.नं. 602 रकबा 2.35 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बुडाना तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित है। उक्त जमीन के खातेदार वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित हक हिस्सा के मुताबिक अनावेदक नं. 7 लगायत 20 है। जमीन हाल ख.नं. 603 रकबा 2.32 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बुडाना तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित है। उक्त जमीन के खातेदार वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित हक हिस्सा मुताबिक अनावेदक नं. 21 व 22 है। ख.नं. 603 का खातेदार दिनेश पुत्र ओमप्रकाश का देहान्त हो चुका है। अनावेदिका नं. 21 उक्त दिनेश की स्त्री को पक्षकार बनाया गया है। अनावेदिका नं. 21 के दो पुत्री व एक पुत्र मौजूद है जो नाबालिग है। मौजूदा प्रकरण मात्र पत्थरगढी का है इसलिये उनकी माता ओरमता को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। आवेदक बलवीर ने अपनी खातेदारी के खेत ख.नं. 600 का दिनांक 10.05.2017 को सीमाज्ञान करवाया। उक्त सीमाज्ञान बाबत पटवारी हल्का बुडाना ने दिनांक 10.05.2017 को फर्द मौका सीमाज्ञान बनाया गया। आवेदक बलवीर अपने खातेदारी के खेत ख.नं. 600 की उत्तरी व पूर्वी सीमा मे नपती के दिनांक 10.05.2017 के मुताबिक पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करने के लिये पत्थरगढी करवाना चाहता है। नपती के मुताबिक आवेदक ख.नं. 600 की उत्तरी व पूर्वी सीमा मे स्थित सीमा की फर्द मौका नपती दिनांक 10.05.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करवाना चाहता है इसलिये

ख.नं. 601 से 603 तक के सभी खातेदारों को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। अनावेदिका नं. 23 बलवीर की माता है। जो वृद्ध महिला है तथा बीमार रहती है तथा प्रार्थना पत्र दायरी के वक्त वह मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होने के कारण व ख.नं. 600 की कोटीनेन्ट होने के कारण मात्र अनावेदक पक्षकार बनाया गया है। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 22 फर्द मौका नपति दिनांक 10.05.2017 के मुताबिक ख.नं. 600 के उत्तर पूर्व सीमा में पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाने के लिये दिनांक 13.06.2017 को इन्कार हो गये। इसलिये मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि फर्द मौका नपति दिनांकित 10.05.2017 के मुताबिक ख.नं. 600 ग्राम बुडाना के उत्तर पूर्व सीमा में तथा उत्तर पूर्व कोने में पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करने के लिये तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जावे।

विवेचन

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्राथी संख्या 7, 9 लगायत 13, 17 व 22 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 व 18, 20, 21 के द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर इनकी जबाव देही बंद की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6, 8, 14, 15, 16 बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 7, 9 लगायत 13, 17 व 22 का कथन है कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबधित दावा संख्या 71/2018 उनवान मोहन बनाम गोविन्द वगै0 इसके अलावा एक अन्य प्रकरण 70/18 उनवान ओरमता बनाम गोविन्द सिंह अन्तर्गत धारा 251 ए का विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विवादित है क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जे, बंटवारा का विवाद है। मौके पर विवादित होने के कारण उक्त प्रकरणों के चलते यह आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। भूमि पैतृक होने के कारण आवेदक व अनावेदक के मध्य जब तक कब्जे का व रास्ते का बिंदु अंतिम रूप से निर्धारित नहीं कर दिया जाता है इससे पूर्व इस प्रकार का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है अतः खारिज किये जाने का निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 10.05.2017 का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के अनुसार खसरा नम्बर 229 व 600 की खातेदारी बुजी देवी पत्नी भूराराम, बलबीर पुत्र भूराराम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है व खसरा नम्बर 230/914 , 601 की खातेदारी गोविन्द सिंह, राजेन्द्र सिंह पि0 सुरजाराम हिस्सा 1/2, विमला पत्नी इन्द्रसिंह, मोहर सिंह पिता इन्द्रसिंह हिस्सा 1/4, संतोष देवी पत्नी लिछूराम, सुधेश पिता लिछुराम हिस्सा 1/4 जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 228/913, 602 की खातेदारी किशनराम पिता गोगाराम हिस्सा 1/3 फौत झिमकोरी पति किशनराम, मुकेश राजेश पिता किशनराम, सुनिता बबिता संजू पिता किशनराम हिस्सा 1/3 व रामलाल पिता गोगाराम फौत प्रभाती देवी पत्नी रामलाल, रवि कुमार पुत्र रामलाल, अनिता देवी , किरण देवी पुत्रिया रामलाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 228, 603 की खातेदारी दिनेश पिता ओमप्रकाश, सावरमल पुत्र गोपालराम के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्पष्ट है। उक्त रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदकगण का राजस्व रिकार्ड अलग अलग है। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 600 के बाबत पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है, जिसकी नपति दिनांक 10.05.2017 को की जाना प्रस्तुत रिकार्ड से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में आर आर डी 1968 पी 474 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का आवेदक के खर्चे पर स्वीकार कर नपति फर्द दिनांक 10.05.2017 के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 600 वाके ग्राम बुडाना तहत तहसील झुन्झुनू के पड़ौसी खातेदारों की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाने का निर्णय लिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.22 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखंड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)